न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. 02/2022

प्रार्थीगण–

1. महेन्द्राराम पुत्र खखिया
2. प्रागाराम पुत्र खखिया
3. नैनू देवी पत्नी खखिया
4. मोटूराम पुत्र जानाराम
5. कमलाराम पुत्र जानाराम
6. सोमाराम पुत्र जानाराम
7. हरियों देवी पत्नी जानाराम
8. खेताराम पुत्र सुराराम
9. खूमाणाराम पुत्र सुराराम
10. कैलाश पुत्र सुराराम
11. लूणाराम पुत्र सुराराम
12. रम्भादेवी पत्नी सुराराम

(प्रार्थी सं. 11 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता रम्भादेवी) जाति भील निवासी रेडाणा तहसील गड़रारोड़ जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. प्रहलादसिंह पुत्र रायसिंह जाति पुरोहित निवासी देदड़ियार (फोगेरा) तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गड़रारोड़

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.1967 जो राजस्व वाद सं. 54/1967 अनवान रासींगा बनाम खखिया मे सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा जारी की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक : 26.07.2023

1. प्रार्थीगण की ओर से यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद सं. 54/1967 मे पारित निर्णय एवं

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

डिक्री दिनांक 10.07.1967 की वैधता एवं औचित्यता पर जांच कर उसे निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम देदड़ियार के खसरा नम्बर 19 रकबा 141–08 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त खखिया वल्द सिवा के नाम दर्ज हुई थी। इस भूमि के बाबत रासिंगा वल्द माधा पुरोहित साकिन फोगेरा तहसील शिव द्वारा एक राजस्व वाद सं. 54/1967 अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि उसकी खातेदारी एवं कब्जे–अधिपत्य की है जिसे बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा भूलवश खखिया के नाम दर्ज कर दी है, जिसे वादी की खातेदारी घोषित की जावें। इस वाद मे प्रतिवादी खखिया द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर वादी रासींगा के दावे का समर्थन किया गया जिसके फलस्वरूप न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.1967 जारी कर वादी रासींगा को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित कर दिया गया। इस निर्णय एवं डिक्री को विधिक प्रावधानो के विपरित होना मानते हुए प्रार्थीगण द्वारा यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थीगण महेन्द्राराम व अन्य द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किये गये एवं आलौच्य निर्णय एवं डिक्री से सम्बन्धित न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर की वाद सं. 54/1967 की मूल पत्रावली अभिलेखागार से बरामद कर अवलोकनार्थ इस पत्रावली के हमफीता की गई।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं अधिनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया है कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त प्रार्थीगण के पूर्वज खखिया की खातेदारी एवं कब्जा की पैतृक भूमि थी। प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति भील वर्ग के व्यक्ति हैं जिस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में आने वाले काश्तकारों की भूमि के संबंध में स्वर्ण जाति एवं अन्य जातियां जो अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से बाहर है के व्यक्ति की खातेदारी भूमि को किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण करने पर प्रतिबंधित करती हैं और धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के काश्तकारों की भूमि को संरक्षण का प्रावधान करती है। उपरोक्त वर्णित अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों की भूमि अन्य कोई जाति विशेष के व्यक्ति सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उक्त विवादित भूमि मौजा देदड़ियार के खसरा नम्बर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

19 रकबा 141 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी के पूर्वज रासींगा वल्द मादा पुरोहित द्वारा गलत एवं बेबुनियाद रूप से राजस्व वाद सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा अपनी आदेशिका दिनपांक 10.07.1967 में मुदायला खखिया का रासींगा से दिनांक 13.06.1967 के राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री कर दिया और खखिया की खातेदारी की भूमि रासींगा के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानों को अनदेखा कर निर्णय व डिक्री पारित कर दी हैं जबकि उक्त निर्णय व डिक्री प्रारम्भ से ही खखिया के हितों के प्रतिकूल हैं व प्रारम्भ से ही शुन्य हैं।

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में खखिया व रासींगा के मध्य दिनांक 13.06.1967 को निष्पादित होना उल्लेखित हैं जबकि खखिया न तो असालतन और न ही वकालतन अदालत में पेश हुआ था। प्रकरण में खखिया की तलबी हेतु नोटिस पेश करने हेतु पत्रावली मुकर्रर थी जिस पर न तो कोई नोटिस जारी हुआ और न ही खखिया न्यायालय में पेश हुआ था। इस प्रकार उक्त वाद में खखिया को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही न्यायालय से बाहर निष्पादित राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति भील जाति के सदस्य हैं और अप्रार्थी सं. 1 के पूर्वज रासींगा द्वारा अपने अधिवक्ता से मिलीभगत कर गलत प्रक्रिया व सांठ–गांठ से उक्त निर्णय दिनांक 10.07.1967 पारित करवाया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध है। प्रार्थीगण का पूर्वज खखिया जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति था की खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकार धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित जाकर रासींगा के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई हैं जो अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में खातेदारी घोषणा बाबत किसी प्रकार के दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लिये गये बल्कि मात्र राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई हैं जो राजीनामा भी विधिवत रूप से तस्दीक नहीं किया गया हैं। इस आधार पर आलौच्य निर्णय व डिक्री कानूनी रूप से अवैध होने के साथ–साथ विधिवत रूप से साक्ष्यों के परीक्षण के बिना जारी की गई हैं जिसे निरस्त किये जाने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किया जाना न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थीगण का यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद सं. 54/1967 अनवान रासींगा बनाम खखिया में निर्णय दिनांक 10.07.1967 को पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त से ही रासींगा वल्द मादा जाति पुरोहित निवासी देदड़ियार की ख़ातेदारी एवं कब्जे–काश्त की रही है। बन्दोबस्त अधिकारियों के भूल से उक्त भूमि प्रार्थीगण के खखिया के नाम दर्ज हो जाने से रासींगा वल्द माधा द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद मे खखिया द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर रासींगा के हक अधिकार को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में समस्त कार्यवाही विधिसम्मत तरीके से सम्पन्न की गई हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं थी तथा उक्त न्यायालय के निर्णय के करीब 55 वर्ष तक चुपचाप रहने के बाद अब भूमि की कीमतों में बढोतरी होने से प्रार्थीगण की नीयत में खोट आने के कारण प्रार्थीगण ने बेबुनियाद व मनगढ़त तथ्यों पर अप्रार्थी सं. 1 के वक्त सैटलमेंट से कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से 55 वर्षों के घोर विलम्ब के बाद यह रेफरेंस आवेदन पेश किया गया हैं। प्रार्थीगण के पूर्वज खखिया के पक्ष में वक्त बन्दोबस्त भूल से विवादित भूमि दर्ज हो गई थी जिसकी खखिया को आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अप्रार्थी सं. 1 के पिता की ओर से प्रस्तुत वाद में खखिया ने राजीनामा प्रस्तुत कर अप्रार्थी के पिता के हक–अधिकारों को स्वीकार किया गया। इस राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण के पूर्वज खखिया या प्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील आज दिन तक पेश नहीं की गई हैं, जिससे साबित हैं कि उक्त विवादित भूमि बाबत प्रार्थीगण या उनके पूर्व खखिया का कोई सरोकार नही रहा था। वक्त बन्दोबस्त से आज दिनांक तक विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 व उनके पिता का लगातार कब्जा–काश्त निर्बाध चला आ रहा हैं तथा प्रार्थीगण व उनके पूर्वज खखिया का इस पर कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं। प्रार्थीगण द्वारा निर्णय व डिक्री विरूद्ध 55 वर्षों के घोर विलम्ब से यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र गलत एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया हैं तथा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थीगण का यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद, मनगढ़त व झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्व रेकर्ड, मौके की स्थिति के विरूद्ध जाकर मयाद बाहर हैं जो भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों व अभिकथनों पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न अभिलेखों का उद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि [illegible] रासींगा के द्वारा ग्राम देदड़ियार के खसरा नम्बर 19 रकबा 141–[illegible] भूमि अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत वाद एवं [illegible] खखिया [illegible] से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अधिनस्थ न्याया[illegible] द्वारा दिनांक 10.07.1967 को जारी की गई है। इस निर्णय एवं [illegible] जारी होने के लगभग 55 वर्ष बाद उक्त वाद के प्रतिवादी खखिया के वारीसान ने जरिये रेफरेंस चुनौती दी है। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनकी पैतृक खातेदारी की है जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

लिये अप्रार्थी सं. 1 के पिता रासींगा ने गलत तरीके से राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के विपरित जाकर डिक्री जारी करवा दी है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस के जवाब में अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विलम्ब के लिय प्रकट उजर पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया हैं कि ऐसे आदेश जो प्रारम्भ से ही शुन्य व निष्प्रभावी है और जो निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरित हैं उनमें मयाद बिन्दु प्रथमदृष्ट्या लागू नहीं होता हैं तथा इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भिन्न–भिन्न न्यायिक दृष्टांतो में विलम्ब को अपास्त किया हैं। इसके साथ ही यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरित पारित आदेश व निर्णय जो प्रारम्भ से शुन्य हैं उस सम्बन्ध में मयाद लागू नहीं होती है।

8. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संबंध मे धारा 232 के संशोधित प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि डिक्री शब्द का संयोजन संशोधन अधिनियम, 1981 की अधिसूचना दिनांक 03.10.1981 के द्वारा किया गया है, ऐसे मे इस दिनांक से पूर्व पारित निर्णय एवं डिक्री को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रामेश्वर बनाम जगदीशराम आरआरटी 2013(2) पेज 811 मे दिये गये निष्कर्ष अनुसार रेफरेंस योग्य नही माना है। इसके अलावा (1999)डीएनजे 761 लाडबाई बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत न्यायिक कार्यवाही के तहत सक्षम न्यायालय की डिक्री को धारा 42 के प्रावधानों के तहत अन्तरण की श्रेणी में नहीं माना हैं। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये अभिमत के विपरित प्रार्थीगण की ओर से कोई ठोस विधिक स्थिति प्रकट नही की गई है। ऐसे मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र मयाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी संवहनीय प्रतीत नही होता है। लिहाजा उपरोक्तानुसार जांच एवं विवेचन उपरांत आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.1967 को वैधता एवं औचित्यता के मानक पर ज़रिये रेफरेंस चुनौती दिये जाने का पर्याप्त आधार नही होने से प्रकरण को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को निर्णय हेतु अग्रेषित करना उचित नही समझते है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत अस्वीकार किया जाकर इसी प्रकरण में खारिज किया जाता है।

10. आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)